भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 250470

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: पिलायपुर ग्रीननर्स

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 253471

४.	सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति सं०	: भूमि खसरा संख्या 1430 म 1431
५.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
६.	विक्रित सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.3417 हेक्टेयर
७.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
८.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
९.	बोरिंग/कूप/अन्य	: नहीं
१०.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 13,29,996/-
११.	मालियत	: रू0 3,14,825/-
१२.	स्टाम्प	: रू0 93,100/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 250472

चौहद्दी

<u>खसरा नं० 143अ</u>

पूरब	: खसरा संख्या-142
पश्चिम	: खसरा संख्या-143ब
उत्तर	: खसरा संख्या-140
दक्षिण	: खसरा संख्या-143ब

चौहद्दी

<u>खसरा नं० 143ब</u>

पूरब	: खसरा संख्या-142
पश्चिम	: खसरा संख्या-129
उत्तर	: खसरा संख्या-140 तथा 143अ
दक्षिण	: आबादी ग्राम

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

[illegible] 856294

-4-

प्रथम पक्ष की संख्या-01	द्वितीय पक्ष की संख्या-01
विक्रेता का विवरण।	क्रेता का विवरण।
[illegible] पुत्र [illegible], निवासी-ग्राम [illegible], ग्राम-[illegible] [illegible], परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।	अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, कार्यालय पता-प्रथम तल, [illegible] बिल्डिंग, 11-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 037667
16 MAR 20[illegible]

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख [illegible] पुत्र [illegible], निवासी-ग्राम [illegible], ग्राम-[illegible] [illegible], परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवं अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगापाल सिंह, कार्यालय पता-प्रथम तल, [illegible] बिल्डिंग, 15-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

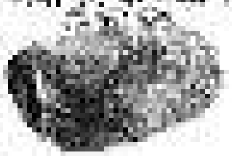

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

037444

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या–1413 रकबा 0.0500 हेक्टेयर व 1414 रकबा 0.3760 हेक्टेयर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.426 हेक्टेयर, का 1/3 भाग यानि रकबा 0.1417 हेक्टेयर, स्थित ग्राम भिखामपुर मटियारी, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक काबिज व काबिज है, जो विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है, जो उसे परम्परागत प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सम्पादित तहसील द्वारा खतौनी क्रम रकबा 00040 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 237669

26 MAR 201

उक्त आराजी अब विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, आड़मान, कुर्की, व तनाजा आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब विक्रेता खुद रजामन्दी से उक्त विक्रय आराजी खसरा संख्या व रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना किसी शक्ति व जोर व नशा पानी व स्वतन्त्र बिना किसी दबाव के, मुबलिग रु0 13,29,996/- (रुपया तेरह लाख उन्तीस हजार नौ सौ छियान्बे मात्र) में क्रेता उपरोक्त के हक में बय मुतलक किया, और कुल विक्रय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 044068

कार्यवाही कब्जा नहीं उपरोक्त द्वारा क्रेता उपरोक्त को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार ... कब्जा व कब्जा मालिकाना आराजी मब्यूआ पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का कब्जा मालिकाना करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा निस्बत आराजी मब्यूआ व विक्रय धनराशि के शेष या बाकी नहीं रहा. अगर कोई दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी मब्यूआ पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं गिरवी, रहन, दखल, कुर्की व ... आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी

स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के साथ विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम निजामपुर महिगवाँ, परगना बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य भाग के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 22,50,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.1415 हेक्टेयर की मालियत रू0 3,18,825/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर जनरल स्टाम्प शुल्क [illegible],300/- को अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

कुल विक्रय मूल्य रू0 13,29,996/- (रुपया तेरह लाख उन्तीस हजार नौ सौ छियान्बे मात्र) अदिये चेक संख्या ..298559.. दिनांकित 18.03.2011 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ के माध्यम से विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेता'' एवं ''क्रेता'' में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

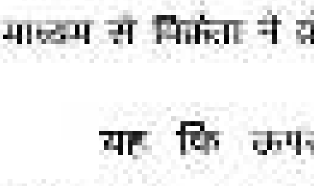

[illegible]

[illegible] 200,000.00 [illegible] 20 [illegible] 1,000

[illegible]

[illegible]

पी. के. [illegible]

उप निबन्धक (प्रथम)

[illegible]

[illegible]

[illegible] 22/3/201[illegible]

[illegible]

[illegible]

पी. के. [illegible]

उप निबन्धक (प्रथम)

[illegible]

[illegible]/2011

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या-10 पर पैरा संख्या काले पेन से लिखा गया है।

दिनांक : 22.03.2011
लखनऊ
गवाहान:-
1.

2.

क्रेता
पैन नं0 AAACA0006D

टाईपकर्ता:
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:
(पाली अनुराग)
एडवोकेट,

[illegible]

Registration No. [illegible] [illegible] [illegible] Date [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

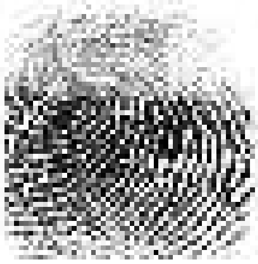

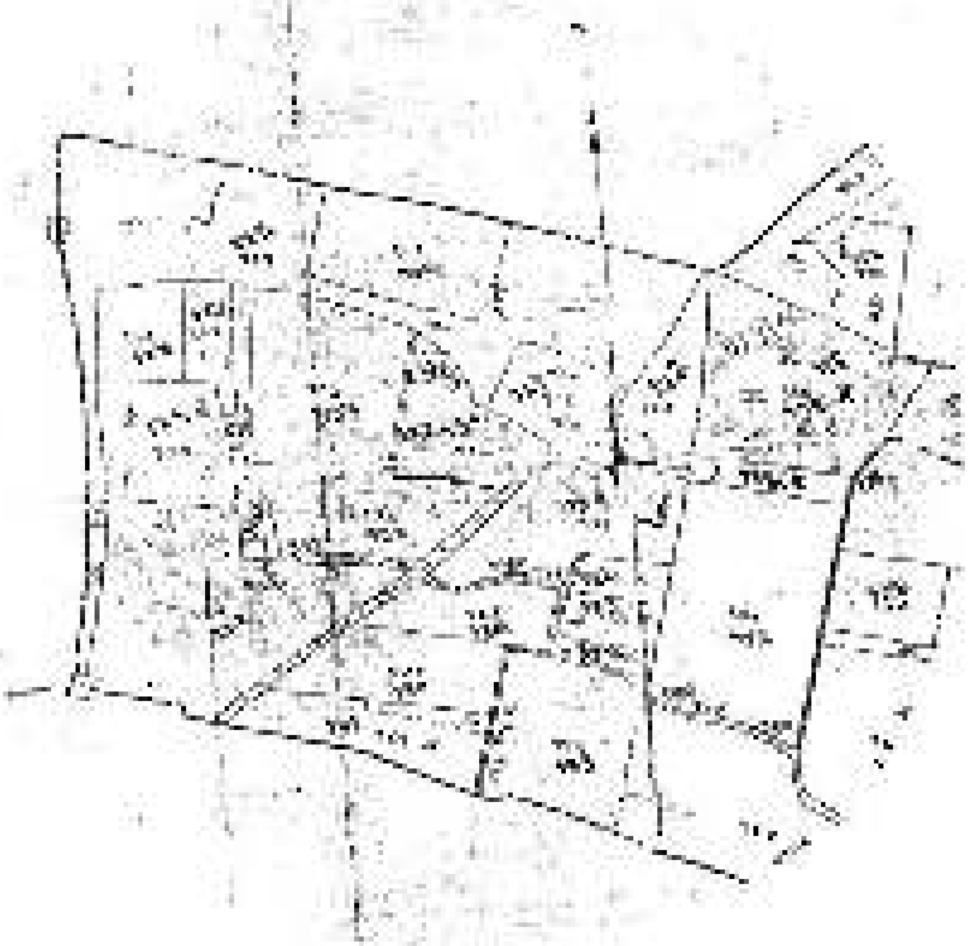

[illegible]

Registration No: [illegible] Year: [illegible] Deed No: 1

[illegible]

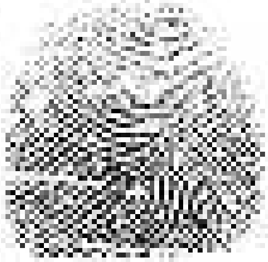

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स्

विक्रेता का नाम व पता:- गंगा पुत्र नोखे, निवासी–नया पुरवा, ग्राम–निजामपुर, मल्हौर, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

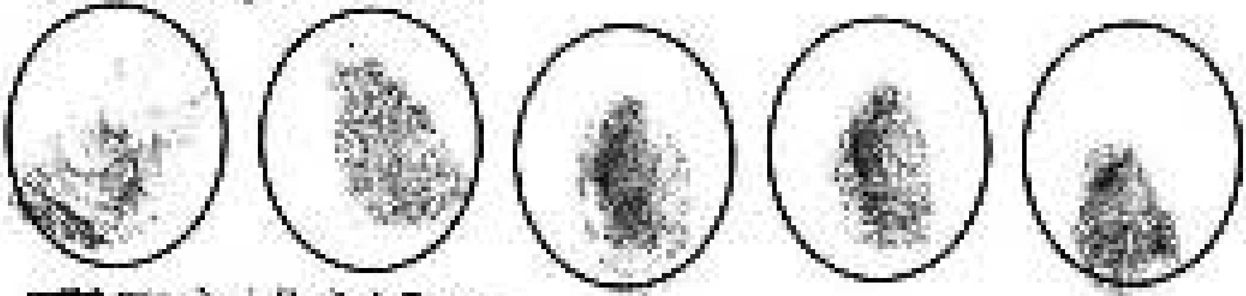

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

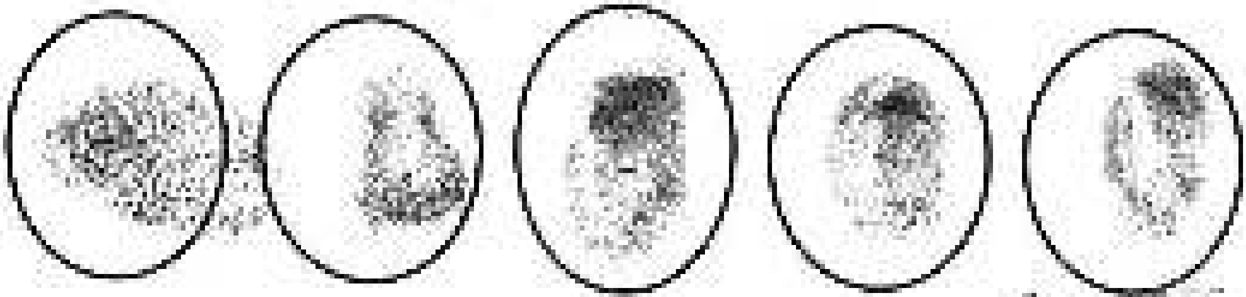

क्रेता का नाम व पता-अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा [illegible] प्रताप सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, वर्तमान पता–प्रथम तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

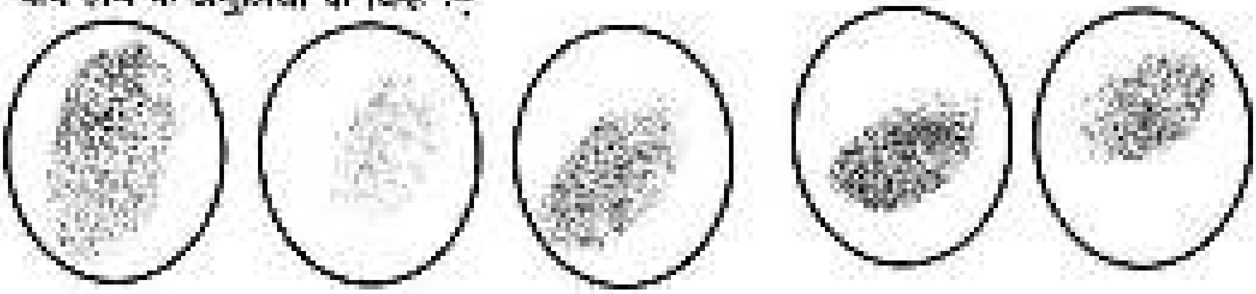

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

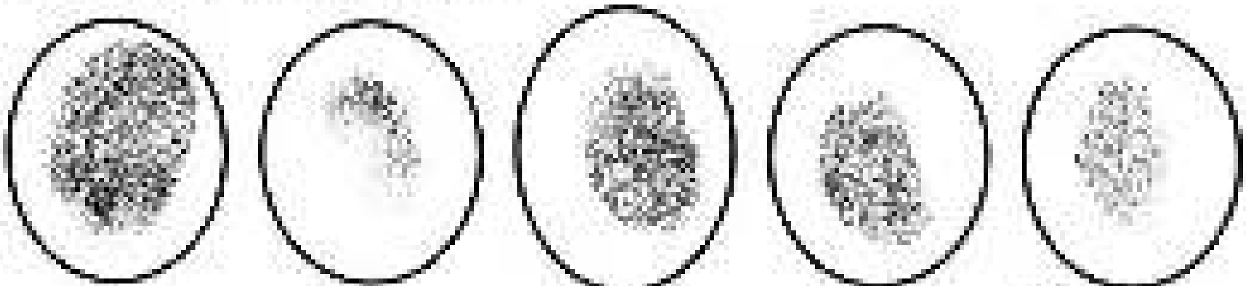

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 22/03/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 12544

पृष्ठ सं. 69 से 94 पर क्रमांक 3747

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

22/3/2011